

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 फोलोअप कैम्प. 29/5/22)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 148/22

GCMS NO- 2022/258

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

रैयसा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 20/5/22

प्रार्थी के "नास दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का रैयसा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रैयसा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रैयसा	86	रैयसा D. मण्डाराम हि० 17 व 2 2738 व 111	रैयसा पुत्र मण्डाराम हि० 199 8214

क्रमांक :- राजस्व/2022/ 166

प्रतिलिपि :- तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी
एक पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला- झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहा. कलक्टर, बुहाना

दिनांक :- 20/5/22

उपखण्ड अधिकारी
एक पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला- झुन्झुनू (राज.)